

फर्द अहकाम
(गिणत 20)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

सन्तोपलाल पिता भूरदास बैरागी नि. टीढोडा माफी

बनाम

श्रीराम पिता लादू गुर्जर नि. टीढोडा माफी बगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 1/26/21

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	संख्या व तारीख अहकाम या हुकम की तारीख व जरी हुकम
23.11.21	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से वाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम टीढोडा माफी प. ह. गन्धेर तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 1692/3 रकबा 05.00 बीघा स्थित है। उक्त कृषि आराजी के अप्रार्थीगण पडोसी होकर उनको अपनी अपनी आराजी का सही सीमा ज्ञान नहीं होने के कारण आये दिन फसल की बुआई कटाई के समय अनावश्यक विवाद होता रहता है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ सलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की है, पडोसियान के विवाद करने वाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम टीढोडा माफी प. ह. गन्धेर तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 1692/3 रकबा 05.00 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पण्डेर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 23.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)